Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 20-12-2025 **Revised**: 27-12-2025 **Accepted**: 05-01-2026

पेटेंट सम्बंधी विधियों के प्रवर्तन की चुनौती एवं उनका समाधान : एक अनुभाविक अध्ययन

डॉ. आनन्द कुमार द्विवेदी
[प्रभारी प्राचार्य विधि]
संस्कार ला कालेज अनूपपुर
Email id : ananadkumardwivedi1984@gmail.com

अमूर्त :

पेटेंट एक बौद्धिक संपदा अधिकार है और इससे संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार तकनीकी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। यह किसी कानूनी संस्था (जिसमें एक असाइनी भी शामिल है) को एकाधिकार, अनन्य और लागू करने योग्य अधिकार के रूप में किसी अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि संस्था ने अपने आविष्कार का खुलासा किया हो जो नवीन, आविष्कारशील, औद्योगिक रूप से उपयोगी होने के मानदंडों को पूरा करता हो और उस अधिकार क्षेत्र में पेटेंट योग्य विषय वस्तु से संबंधित हो, साथ ही कुछ अन्य तकनीकी और प्रकटीकरण औपचारिकताओं को भी पूरा किया हो। ऐसा अधिकार अनिवार्य रूप से एक सीमित अवधि के लिए दिया जाता है। जैसा किडब्लू आई.पी.ओ. की वेबसाइट पर परिभाषित किया गया है और यहां उद्धृत किया गया है, पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया अनन्य अधिकार है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया है जो सामान्यतः किसी कार्य को करने का एक नया तरीका प्रदान करती है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रस्तुत करती है।

भारत में वर्तमान समय में पेटेंट का पंजीयन अत्यधिक बढ़ गया है। समाज के लोगों में पेटेंट अधिकार के प्रति रचनात्मक कार्यो में अत्यधिक जोर दे रहे हैं तथा समाज के लिये उपयोगी तकनीक व प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं।

प्रस्तुत शोध में समाज के लोगों में पेटेंट के प्रति जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में क्रियाशीलता तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में पेटेंट अधिकार की भूमिका के प्रति समाज के वैचारिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द : अविष्कारकर्ता, उत्पाद, निर्माता, एकाधिकार, विक्री व आयात, भारत सरकार

प्रस्तावना :

पेटंट एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार है इससे सम्बंधित बौद्धिक सम्पदा तकनीकी क्षेत्र में उत्पन्न होते है या किसी विधिक संस्था को एकाधिकार अन्यन्य लागू करने योग्य अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है।

भारत में पेटेन्ट से संबंधित प्रथम विधान 1856 का अधिनियम VI था। इस विधान का उद्देश्य नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं के आविष्कार को उत्साहित करना तथा आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के रहस्य बताने के लिए राजी करना था। किन्तु इस अधिनियम को बाद में 1857 के अधिनियम IX द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसे राज्य की स्वीकृति के बिना लागू किया गया था। 1859 में 'अनन्य विशेषाधिकार अनुदान करने हेतु एक नया विधान 1859 के अधिनियम XV के रूप में प्रारंभ किया गया। इस विधान में पूर्ववर्ती विधान के कुछ संशोधन शामिल थे जैसे, केवल

उपयोगी आविष्कारों को ही अनन्य विशेषाधिकार अनुदान तथा प्रायिकता अवधि का 6 से 12 माह तक विस्तार। इस अधिनियम में आयातकों को आविष्कारक की परिभाषा से अलग कर दिया गया। 1856 का अधिनियम 1852 के युनाइटेड किंगडम अधिनियम पर आधारित था जिसमें कुछ अंतर भी थे जैसे कि समनुदेशिती को भारत में आवेदन करने की अनुमति एवं नवीनता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत अथवा युनाइटेड किंगडम में आम उपयोग अथवा पूर्व प्रकाशन करना। पेटेंट से सम्बंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में दायर होते रहे हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

अध्ययन का महत्व एवं उद्देश्य :

शोध के अध्ययन का उद्देय निम्नलिखित है–

1. भारत के पेटेंट प्रणाली की कार्यविधि की समीक्षा कराना।
2. वर्तमान पेटेंट विधान का परीक्षण कर उसमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
3. पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का अध्ययन
4. पेटेंट कार्यालय की कार्यपद्धति तथा आम जनता को प्रदान करने वाली सेवाओं का परीक्षण कर उसमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्व :

प्रस्तुत अध्ययन से यह पता चल सकेगा कि समाज के लोग पेटेंट विधि के प्रावधानों के संबंध में कितनी जानकारी रखते हैं। यदि व्यक्ति अपने अधिकारो व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा तो वह अनजाने में विधियों का उल्लंघन कर वाद कारण को जन्म देता है। जिससे समय व पैसे की बर्बादी होती है उससे बच सकेगा। यह अध्ययन शोधार्थी, विद्यार्थी , उत्पादक, अविष्कारकर्ता तथा उपभोक्ता इत्यादि के लिये अत्यधिक उपयोगी रहेगा।

शोध परिकल्पनाः :

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना निम्नलिखित हैं–

1. समाज में पेटेंट अधिकार के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है।
2. पेटेंट की वजह से आर्थिक लाभ के कारण लोगों का झुकाव नये अविष्कार तथा रचनात्मक कार्यो की ओर बढ़ रहा है।
3. पेटेंट अधिकार का पंजीयन की प्रक्रिया जटिल व लम्बी है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र समाज के महत्वपूर्ण वर्ग के हितों के संरक्षण से सम्बंधित है। अतः इसका रूपांकन विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों के संचयन उनके विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है। साहित्य के संकलन एवं द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण न्यायालय, सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं, पुस्तकालय, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट एवं सिफारिशे तथा इन्टरनेट से प्राप्त की जायेगी।

चूंकि वर्तमान समय में व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सतर्क हुये हैं इसलिए शोधकार्य की प्रकृति एवं दूरदृष्टि के आधार पर गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनो ही पद्धतियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करके अध्ययन में मौलिकता एवं विश्वसनीयता लाने का प्रयास किया गया। प्रस्तावित शोध में कार्य के दौरान समस्या की गहराई तक पहुचने एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त जानकारी के आधार पर इनका विश्लेषण किया व निष्कर्ष निकाले है। जो कुछ कमियां होगी उनके संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

पेटेंट अधिकार के प्रति लोगों की जानकारी का स्तर व जागरूकता से सम्बंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए शोध अध्ययन के इकाई के रूप में शहडोल जिला का चयन किया गया है। यहॉ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विभिन्न वर्गो के 100 लोगों से निहित प्रष्नावली द्वारा दैव निदर्षन विधि से साक्षात्कार किया गया है। उनसे प्राप्त जानकारी को सारणीबद्ध कर एक मास्टर चार्ट बनाया गया तथा उसका विश्लेषण व निर्वचन कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये तथा निष्कर्ष के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किये गये। यथास्थान आवश्यकतानुसार द्वितीयक आंकड़े यथा न्यायिक निर्णयन , साहित्य का अध्ययन तथा इंटरनेट व समाचार पत्रों से प्राप्त

किये गये। शोध कार्य को पूर्ण करने के लिये अनेक शोध पत्रों का अध्ययन किया गया।

भारतीय पेटेन्ट प्रणाली का इतिहास :

1856 का अधिनियम : 1856 1852 के ब्रिटिश पेटेन्ट कानून के आधार पर अन्वेषण की संरक्षा हेतु 1856 का अधिनियम VI निर्माताओं के अन्वेषकों को 14 वर्षों की अवधि हेतु कुछ अनन्य विशेषाधिकार अनुदानित किए गए। 1859 अधिनियम XV के रूप में संशोधित अधिनियमय पेटेन्ट एकाधिकार अनन्य विशेषाधिकार कहा गया (विनेर्देश दाखिल करने की तारीख से 14 वर्षों के लिए आविष्कार के भारत में निर्माण, विक्रय एवं उपयोग करना तथा अन्य लोगों को इसका प्राधिकार देना) । 1872 पेटेन्ट व डिजाइन संरक्षा अधिनियम 1883 आविष्कार संरक्षा अधिनियम 1888 आविष्कार व डिजाइन अधिनियम के रूप में एकीकृत 1911 भारतीय पेटेन्ट व डिजाइन अधिनियम 1972 पेटेन्ट अधिनियम (1970 का अधिनियम 39) 20 अप्रैल 1972 को प्रभावी हुआ। 1999 26 मार्च 1999 को पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, (1999) 01—01—1995 से प्रभावी । 2002 पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 2002, 20 मई 2003 से प्रभावी हुआ। 2005 पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 2005, 1जनवरी, 2005 से प्रभावी ।

भारत में पेटेन्ट से संबंधित प्रथम विधान 1856 का अधिनियम VI था। इस विधान का उद्देश्य नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं के आविष्कार को उत्साहित करना तथा आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के रहस्य बताने के लिए राजी करना था। किन्तु इस अधिनियम को बाद में 1857 के अधिनियम IX द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसे राज्य की स्वीकृति के बिना लागू किया गया था। 1859 में ‘अनन्य विशेषाधिकार अनुदान करने हेतु एक नया विधान 1859 के अधिनियम XV के रूप में प्रारंभ किया गया। इस विधान में पूर्ववर्ती विधान के कुछ संशोधन शामिल थे जैसे, केवल उपयोगी आविष्कारों को ही अनन्य विशेषाधिकार अनुदान तथा प्रायिकता अवधि का 6 से 12 माह तक विस्तार। इस अधिनियम में आयातकों को आविष्कारक की परिभाषा से अलग कर दिया गया। 1856 का अधिनियम 1852 के युनाइटेड किंगडम अधिनियम पर आधारित था जिसमें कुछ अंतर भी थे जैसे कि समनुदेशिती को भारत में आवेदन करने की अनुमति एवं नवीनता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत अथवा युनाइटेड किंगडम में आम उपयोग अथवा पूर्व प्रकाशन करना।

1872 में 1859 के अधिनियम को एकीकृत किया गया ताकि अभिकल्प से संबंधित संरक्षा प्रदान की जा सके। इसे 1872 के अधिनियम XIII के तहत ‘‘पैटर्नस एण्ड डिजाइन्स प्रोटेक्शन एक्ट’’ के रूप में पुनर्नामित किया गया । पुनः 1872 के अधिनियम को 1883 में (1883 के अधिनियम XVI) द्वारा संशोधित किया गया जिसमें आविष्कार की नवीनता की संरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया जो उनकी संरक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने के पहले भारत की प्रदर्शनियों में दिखाया गया था। ऐसी प्रदर्शनी के प्रारंभ होने की तारीख के बाद ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि का प्रावधान था।

यह अधिनियम लगभग 30 वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के प्रभावी रहा किन्तु वर्ष 1883 में युनाइटेड किंगडम के पेटेन्ट कानून में कुछ संशोधन किए गए एवं यह माना गया कि उन संशोधनों को भारतीय कानून में भी शामिल किया जाना चाहिए। 1888 में यूनाइटेड किंगडम कानून में किये गये संशोधनों के अनुरुप आविष्कार तथा अभिकल्प संबंधी कानून को एकीकृत तथा संशोधित करने के लिए नया विधान प्रस्तुत किया गया।

पेटेन्ट और डिजाइन के पूर्व के सभी विधानों को बदलते हुए भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम 1911 (1911 का अधिनियम II) लाया गया। इस अधिनियम ने पहली बार पेटेन्ट प्रशासन को नियंत्रक, पेटेन्ट्स के प्रबंधन के अधीन ला दिया। 1920 में इस अधिनियम में संशोधन कर सुरक्षा प्रायिकता के लिए युनाइटेड किंगडम तथा अन्य देशों के साथ परस्पर समझौता में शामिल होने का प्रावधान किया गया। 1930 में, अन्य बातों के अतिरिक्त, गुप्त पेटेन्ट अनुदान, अतिरिक्त पेटेन्ट, सरकार द्वारा आविष्कार के उपयोग, पेटेन्ट रजिस्टर में संशोधन करने की नियंत्रक की शक्ति तथा पेटेन्ट अवधि को बढ़ाकर 14 से 16 वर्ष करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करने हेतु पुनः संशोधन किए गए। 1945 में नौ महीनों के भीतर औपबंधिक

विनिर्देश दाखिल करने तथा पूर्ण विनिर्देश प्रस्तुत करने का प्रावधान करने के लिए अन्य संशोधन किए गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि भारतीय पेटेन्ट एवं डिजाइन अधिनियम, 1911 अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। देश की राजनितिक एवं आर्थिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन के मद्देनजर विस्तृत पेटेन्ट कानून लागू करने की आवश्यकता समझी गई। तदनुसार, सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पेटेन्ट प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के पेटेन्ट कानून की समीक्षा करने हेतु लाहौर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधिश न्यायमूर्ति (डॉ) बक्शी टेक चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

पेटेंट की मुख्य विशेषताएं :

सीमित समयः पेटेंट हमेशा एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। भारत सहित अधिकांश देशों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्षों के लिए वैध होता है. क्षेत्रीय अधिकारः पेटेंट कानून क्षेत्रीय होते हैं। यदि आपने भारत में पेटेंट कराया है, तो आपको इसका कानूनी अधिकार केवल भारत की सीमाओं के भीतर ही मिलेगा.

सार्वजनिक प्रकटीकरणः पेटेंट का अधिकार पाने के बदले आविष्कारक को अपने आविष्कार की पूरी तकनीकी जानकारी सरकार और समाज के साथ साझा करनी होती है ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा लेकर आगे नए आविष्कार कर सकें.

कोई अविष्कार पेटेंट कराने के लिए आवश्यक मानदंड :

किसी भी नई खोज या तकनीक को पेटेंट कराने के लिए निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य हैः

1. नवीनता : आविष्कार बिल्कुल नया होना चाहिए। वह दुनिया में पहले से कहीं भी उपलब्ध या सार्वजनिक नहीं होना चाहिए.
2. आविष्कारी चरण (प्दअमदजपअम ैजमच ध छवद–वइअपवनेदमे)ः वह तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो उस क्षेत्र के किसी सामान्य जानकार या कुशल व्यक्ति के लिए पहले से स्पष्ट न हो.
3. औद्योगिक अनुप्रयोग आविष्कार का उपयोग किसी उद्योग या व्यावहारिक काम में किया जा सके, यानी उसका कोई वास्तविक और व्यावसायिक लाभ होना चाहिए.

पेटेंट के प्रकार :

मुख्य रूप से पेटेंट को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है

यूटिलिटी पेटेंट यह किसी उत्पाद को बनाने की नई प्रक्रिया या स्वयं उत्पाद पर दिया जाता है.

- डिजाइन पेटेंट यह किसी उत्पाद के बाहरी रंग–रूप, आकार या विन्यास की सुरक्षा के लिए होता है.
- प्लांट पेटेंट यह पौधों की नई और कृत्रिम रूप से विकसित प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए दिया जाता है.

पेटेंट कराने के लाभ :

- व्यावसायिक एकाधिकारः प्रतिस्पर्धियों को आपके आविष्कार की नकल करने से रोकता है.
- कमाई का जरियाः आप अपने पेटेंट को किसी दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं या लाइसेंस देकर रॉयल्टी कमा सकते हैं
- निवेशकों का आकर्षणः पेटेंट होने से नए स्टार्टअप और कंपनियों को मार्केट में फंडिंग और निवेशक आसानी से मिल जाते हैं.
- भारत में पेटेंट से जुड़े आधिकारिक कार्यों और पंजीकरण के लिए आप भारत सरकार के बौद्धिक संपदा भारत पोर्टल पर जाकर विस्तृत दिशा–निर्देश देख सकते हैं.

पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सरकार द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार होता है, जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया होती है, जो सामान्य तौर पर, कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है।

यह आविष्कारक या आविष्कार का अधिकार रखने वाली इकाई और सरकार के बीच एक कानूनी समझौता होता , जो जनता के सामने आविष्कार के विवरण का खुलासा करने के बदले में आविष्कारक को उनके आविष्कार पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।

पेटेंट देने के लिए मानदंड:
पेटेंट योग्य होने के लिए, एक आविष्कार को निम्नलिखित तीनों को पूरा करना होगा

मानदंड :
यह नया होना चाहिए
इसमें एक आविष्कारी कदम शामिल होना चाहिए (अर्थात, किसी व्यक्ति के लिए अस्पष्ट)।
प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्र में कुशल) और
यह औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए।

पेटेंट की अवधि :

एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय पेटेंट प्रदान करता है। एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह प्रासंगिक पेटेंट आवेदन दायर करने की तारीख से शुरू होने वाली अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए कानूनी रूप से वैध रह सकता है, बशर्ते कि इस अवधि के दौरान आवधिक रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाए और पेटेंट को रद्द नहीं किया जाए या अदालत अवैध घोषित न किया जाए।

समाज में पेटेंट के सम्बंध में तथा पेटेंटधारी के विधिक अधिकारों के सम्बंध व उनके हित संरक्षण के प्रति समाज के विभिन्न वर्गो के वैचारिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी निहित प्रश्नावली के द्वारा साक्षात्कार विधि द्वारा प्राप्त की गई। साक्षात्कार में शामिल सभी वर्ग के लोगों की संख्या 100 थी उनमे से 80 पुरुष व 20 महिलाये थी। पुरुषों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे– न्याय विभाग, समाजसेवी, व्यापारिक क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के , चिकित्सकीय के क्षेत्र में अभियांत्रिकीय क्षेत्र के, महाविद्यालयीन छात्र, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित अशिक्षित , व्यवसायी डिजाइन पेटेण्ट ट्रेडमार्क के विशेषज्ञ

भारत सितंबर 1998 में पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था, जिसका कार्यान्वयन पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत उसी वर्ष दिसंबर में प्रभावी हुआ।
पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, एक ''अंतर्राष्ट्रीय एप्लिकेशन'' वह था, जो पीसीटी के दिशानिर्देशों का पालन करता था।
भारत में नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में स्थित चार कार्यालयों को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालयों के रूप में नामित किया गया था।
पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सरकार द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार होता है, जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया होती है, जो सामान्य तौर पर, कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है।

यह आविष्कारक या आविष्कार का अधिकार रखने वाली इकाई और सरकार के बीच एक कानूनी समझौता होता , जो जनता के सामने आविष्कार के विवरण का खुलासा करने के बदले में आविष्कारक को उनके आविष्कार पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।

समाज के विभिन्न वर्गो का वैचारिक दृष्टिकोण एवं प्रभावित व्यक्तियों का अध्ययन :

शामिल किये गये। जबकि साक्षात्कार में शामिल महिलाएँ विभिन्न आयुवर्ग व विभिन्न कार्यक्षेत्र में कार्यरत व गृहणियों को शामिल किया गया। इनके कार्यक्षेत्र भिन्न–भिन्न व पदो के स्तर अलग अलग थे।

साक्षात्कार में सम्मिलित कुल पुरुष उत्तरदाताओं में 02 प्रतिशत न्यायाधीश , 08 प्रतिशत अधिवक्ता, 15 प्रति. महाविद्यालयीन छात्र,, 10 प्रतिशत व्यवसायी जगत से , चिकित्सकीय क्षेत्र के 25 प्रति., अभियंत्रिकी क्षेत्र के 5 प्रति, पैटेण्ट व ट्रेडमार्क क्षेत्र में कार्य करने वाले 1 प्रति, कृषि क्षेत्र 14 प्रति. है।

साक्षात्कार में सम्मिलित कुल महिला उत्तरदाताओं में 01 प्रतिशत न्यायाधीश , 10 प्रतिशत महिला अधिवक्ता, 02 प्रतिशत महाविद्यालयीन छात्रा, 2 प्रति. व्यवसायी, 3 चिकित्सकीय क्षेत्र में 3 प्रति, अभियंत्रकीय क्षेत्र की महिलाएँ, 1 प्रति. कृषि क्षेत्र से 1 प्रति. महिला सम्मिलित हैं।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण पुरुष व महिला उत्तरदाताओं /उत्तरदात्रियों का विवरण सारणी क्र.6.1 में वर्णित है।

सारणी क्र. 1[1]

उत्तरदाता/उत्तरदात्रियों के सम्बंध में जानकारी

क्र.	विवरण	पुरुष		महिला	
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1	न्यायाधीश	02	02	01	01
2	वकील	08	08	10	10
3	महाविद्यालयीन छात्र	15	15	02	02
4	व्यापारिक क्षेत्र	10	10	02	02
5	चिकित्सकीय क्षेत्र	25	25	03	03
6	अभियांत्रिकीय क्षेत्र	05	05	01	01
7	पेटेण्ट, ट्रेडमार्क क्षेत्र	01	01	–	–
8	कृषि क्षेत्र	14	14	01	01
	कुल योग	80	80	20	20

ग्राफ नं. 01

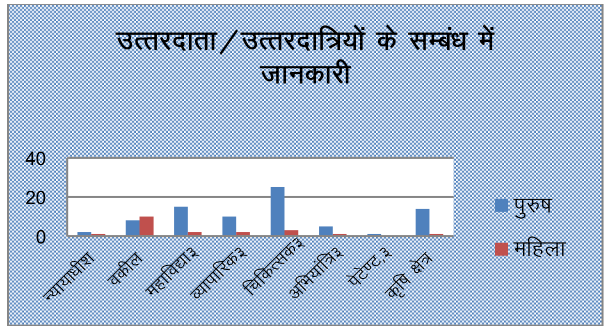

जिनमें कुछ के मत निम्नानुसार हैं
साक्षात्कार में शामिल न्यायाधीश तथा अधिकतर महिलाओं अपना नाम प्रकट न करने की शर्त में साक्षात्कार में शामिल हुई।

सारणी क्र.2[2]

पेटेंट, व्यवसाय के किस क्षेत्र से सम्बंधित

स. क्र.	व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र	विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों के अभिमत			
		हाँ	प्रति.	नही	प्रति.
1	औद्योगिक क्षेत्र	20	20	10	10
2	चिकित्सकीय क्षेत्र	15	15	10	10
3	कृषि क्षेत्र	15	15	05	05
4	अभियंत्रिकीय क्षेत्र	10	10	02	02
5	अन्य	10	10	03	03

[1] साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा

[2] स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर

ग्राफ–02

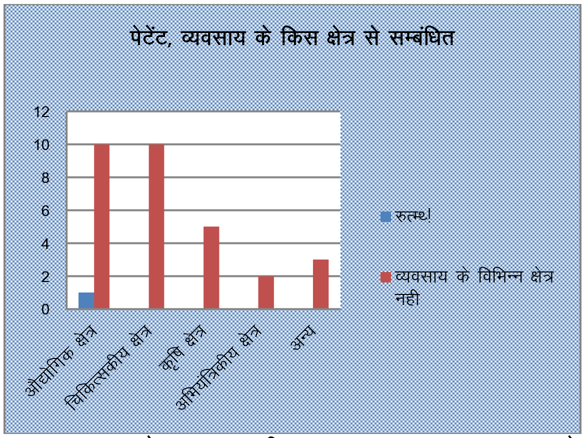

उपरोक्त सारणी क्र. 2 का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पेटेंट व्यापारिक क्षेत्र से सम्बंधित है के पक्ष में 20 प्रति. ने हाँ कहा व विपक्ष में 10 प्रति. चिकित्सकीय क्षेत्र से सम्बंधित है के पक्ष में 15 प्रति. व विपक्ष में 10 प्रति. है। कृषि क्षेत्र के पक्ष में 15 प्रति. व विपक्ष में 05 प्रति. अभियंत्रिकीय क्षेत्र के 10 प्रति. लोगों ने हाँ कहा व 02 प्रति. लोगो का जबाब नकरारात्मक रहा। अन्य क्षेत्र में से 10 प्रति. लोगों ने सकारात्मक जबाब दिया व 03 प्रति. लोगों ने नकारात्मक जबाव प्रस्तुत किया।

सारणी क्र.3[3]
पेटेंट के सम्बंध में जानकारी

स.क्र.	हाँ		नही	
	संख्या	प्रति.(%)	संख्या	प्रति.(%)
1.	50	50	50	50

सारणी क्र. 3 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट के सम्बंध में हॉ में 50 लोग व न में 50 प्रति. लोग है।

ग्राफ–03

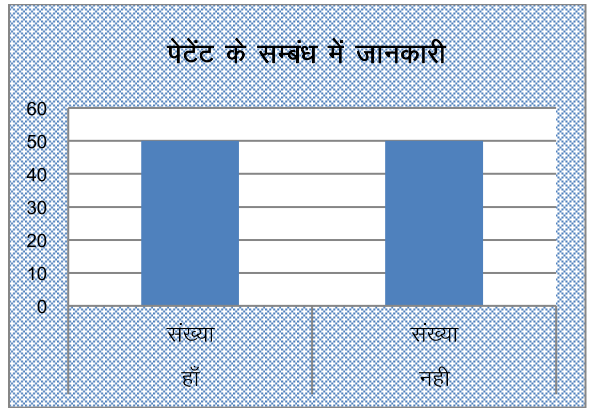

सारणी क्र.4[4]
पेटेंट एवं बौद्धिक अधिकार में अंतर की जानकारी

स.क्र.	हाँ		नही	
	संख्या	प्रति.(%)	संख्या	प्रति.(%)
1.	70	70	30	30

ग्राफ–04

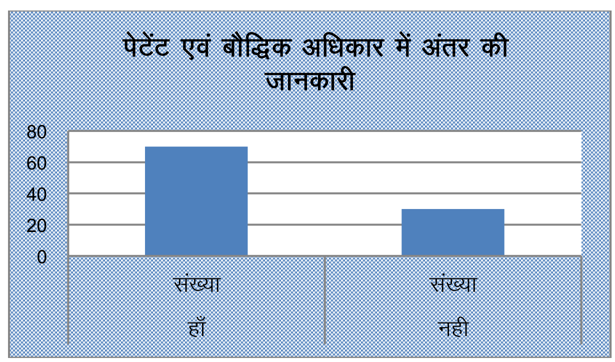

सारणी क्र. 4 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट व बौद्धिक अधिकार में अंतर की जानकारी का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 70 प्रति. लोगों को जानकारी है 30 प्रति. लोगों को नही है।

[3] प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी के आधार

[4] यथोक्त

सारणी क्र.5[5]
पेटेंट के संवैधानिक अधिकार की जानकारी

स.क्र.	हाँ		नही	
	संख्या	प्रति.(%)	संख्या	प्रति.(%)
1.	70	70	30	30

ग्राफ–05

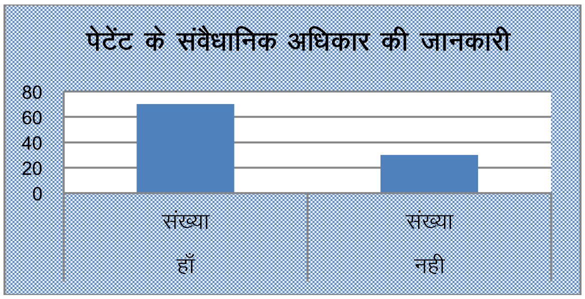

सारणी क्र. 5 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट के संवैधानिक अधिकार के बारे में 70 प्रति. को जानकारी है किन्तु 30 प्रति. को नही है।

सारणी क्र.6[6]
पेटेंट के हनन के सम्बंध में जानकारी

स.क्र.	हाँ		नही	
	संख्या	प्रति. (%)	संख्या	प्रति. (%)
1.	80	80	20	20

सारणी क्र. 6 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट के हनन के सम्बंध में 80 प्रति. लोगों को है किन्तु 20 प्रति. को इसके बारे में जानकारी नही है।

ग्राफ–06

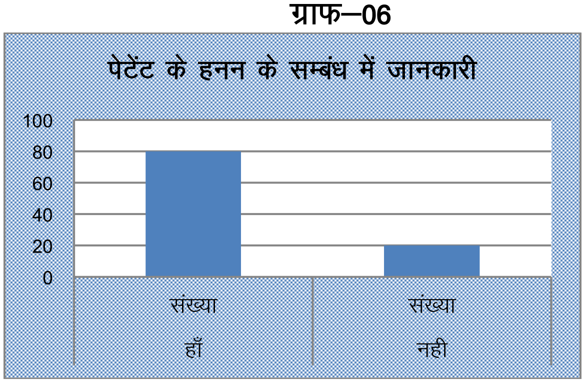

सारणी क्र.7[7]
पेटेंट अधिकार के हनन के संबंध में न्यायालय में चुनौती देने सम्बंध जानकारी

स.क्र.	हाँ		नही	
	संख्या	प्रति. (%)	संख्या	प्रति. (%)
1.	70	70	30	30

सारणी क्र. 7 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट को न्यायालय में चुनौती में देने के सम्बंध में 70 प्रति. लोगों को जानकारी है किन्तु 30 प्रति. लोगों को नही है।

ग्राफ–07

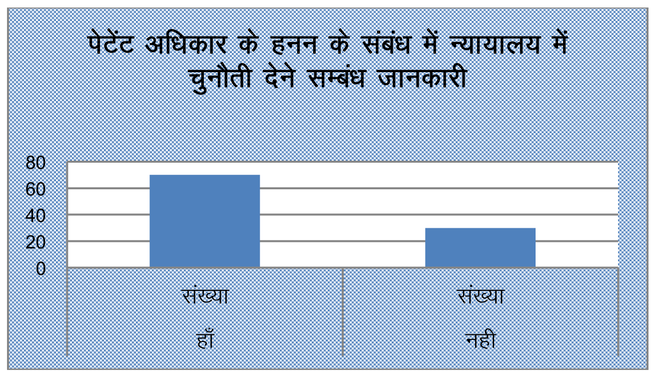

सारणी क्र.8[8]
पेटेंट का दण्ड विधान मे प्रावधान

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	जुर्माना लगता है	60	60
2	जुर्माना एवं कारावास दोना	35	35
3	कुछ नही	05	05

सारणी क्र. 8 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट के नियमों का पालन न करने पर 60 प्रति. लोगों का कहना है कि जुर्माना लगता है, किन्तु 35 प्रति. लोगों नही के पक्ष में हैं।

5 यथोक्त
6 यथोक्त
7 यथोक्त
8 यथोक्त

ग्राफ–08

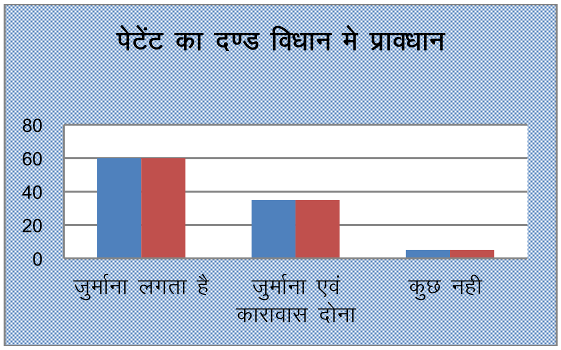

सारणी क्र.9[9]

पेटेंट में पंजीयन सम्बंधी जानकारी

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	हाँ	25	25
2	नही	75	75
3	पता नही	00	00

ग्राफ–09

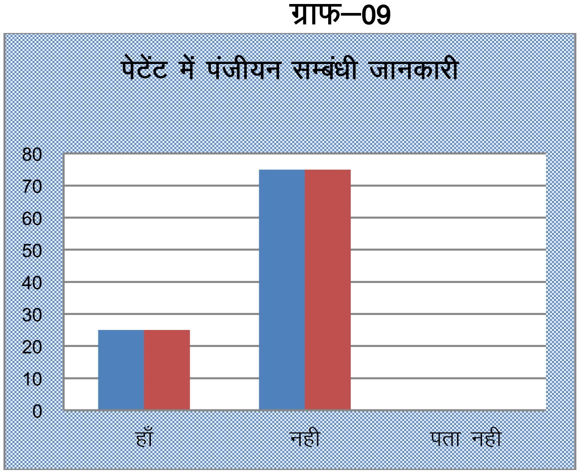

सारणी क्र. 9 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट में पंजीयन सम्बंधी जानकारी का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 25 प्रति लोग ऐसे हैं जिन्हे पेटेंट में पंजीयन संबंधी जानकारी है किन्तु 75 प्रति. लोगों को नही है।

सारणी क्र.10[10]

पेटेंट में मुकदमा कब दायर किया जा सकता

स.क्र.	विवरण	प्रति.	प्रति.
1	पूर्णतः नकल करने पर	72	72
2	50 प्रति नकल करने पर	13	13
3	30 प्रति. नकल करने पर	10	10
4	मुकदमा लगा देने पर	5	5

ग्राफ–10

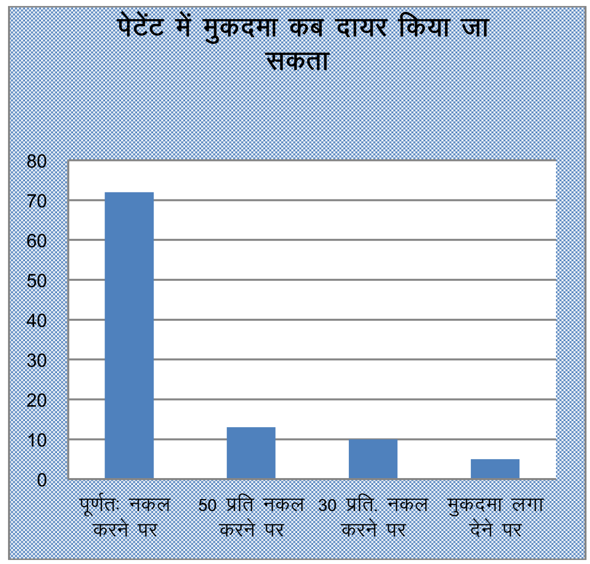

सारणी क्र. 10 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट में मुकदमा दायर किया जा सकता है इस सम्बंध में 72 प्रति. लोगो का कहना है कि पूर्णतः नकल करने पर, 13 प्रति. लोगो का कहना है कि 50 प्रति. नकल करने पर, 10 प्रति. लोगो का कहना है कि 30 प्रति. नकल करने पर व 5 प्रति. लोगो का कहना है कि पेटेंट में मुकदमा सिर्फ मुकदमा लगा देने से दायर हो जाता है।

[9] यथोक्त

[10] यथोक्त

सारणी क्र.11[11]
पेटेंट की सुरक्षा सम्बधी जबाबदारी

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	राज्य सरकार	20	20
2	केन्द्र सरकार	30	30
3	आम जनता	10	10
4	न्यायालय की	30	30
5	इनमे से कोई नही	10	10

सारणी क्र. 11 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पेटेंट की सुरक्षा संबंधी जबाबदारी राज्य सरकार की होती है इस सम्बंध में 20 प्रति. लोग पक्ष में , 30 प्रति. लोगों का मानना है कि पेटेंट के सुरक्षा संबंधी जानकारी केन्द्र सरकार के पास है। 10 प्रति. लोगो का कहना है कि पेटेंट की सुरक्षा संबंधी जबाबदारी आम जनता की होती है। 30 प्रति. लोगो का कहना है कि पेटेंट की सुरक्षा संबंधी जबाबदारी न्यायालय की होती है तथा 10 प्रति. लोगों का कहना है कि पेटेंट की सुरक्षा संबंधी जबाबदारी उपरोक्त में से किसी की नही होती है।

ग्राफ–11

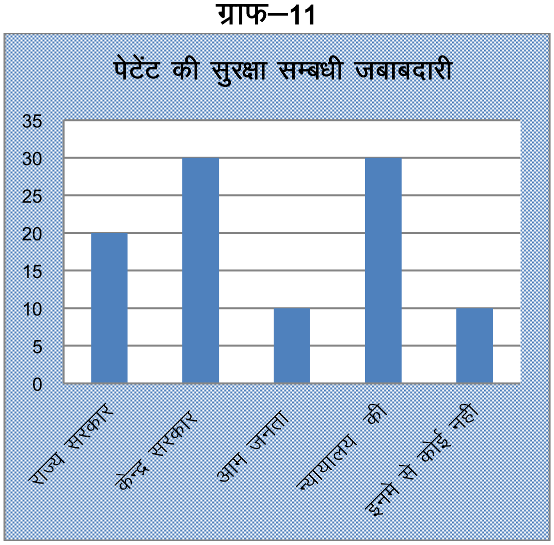

सारणी क्र.12[12]
पेटेंट विवाद का स्वरूप है

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	राष्ट्रीय	60	60
2	अन्तर्राष्ट्रीय	30	30
3	अन्य	10	10

सारणी क्र. 12 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 60 प्रति. लोगों का कहना है कि पेटेंट राष्ट्रीय विवाद का स्वरूप है। 30 प्रति. लोगो का कहना है कि पेटेंट अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का स्वरूप है। किन्तु 10 प्रति. लोगों का कहना है कि पेटेंट न तो राष्ट्रीय विवाद न ही अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का स्वरूप है।

ग्राफ–12

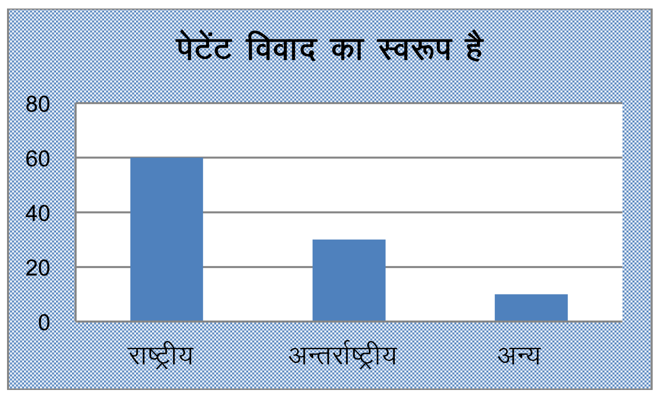

सारणी क्र.13[13]
भारत में पेटेंट हस्तांतरण के योग्य है

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	हाँ	60	60
2	नही	20	20
3	कह नही सकते	10	10
4	परिस्थितियों पर निर्भर	10	10

[11] यथोक्त
[12] यथोक्त
[13] यथोक्त

सारणी क्र. 13 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि भारत में पेटेंट हस्तांतरण के योग्य है के पक्ष में 60 प्रति. लोगो पक्ष में विपक्ष में 20 प्रति. 10 प्रति. लोग संदेह में हैं व 10 प्रति. लोगो का मानना है कि भारत में पेटेंट का हस्तांतरण परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

ग्राफ–13

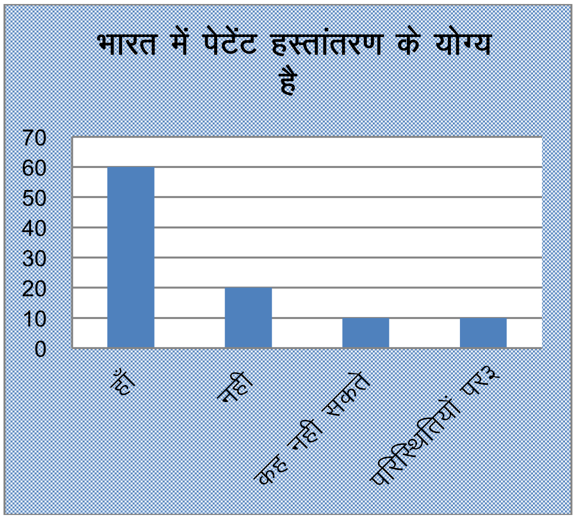

सारणी क्र.14[14]
भारत में पेटेंट की अवधि सम्बंधी जानकारी

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	हाँ	60	60
2	नही	30	20
3	पता नही	10	10

सारणी क्र. 14 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि भारत में पेटेंट के अवधि सम्बंधी जानकारी के पक्ष में 60 प्रति. लोग है विपक्ष में 30 प्रति. व 10 प्रति. लोग भ्रम की स्थिति में है।

ग्राफ–14

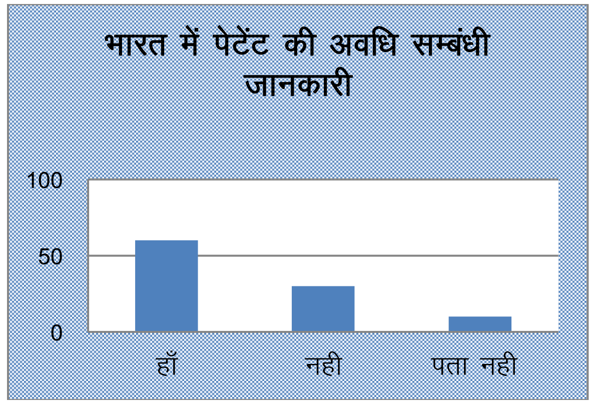

सारणी क्र.15[15]
भारत में पेटेंट की अवधि

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	पंजीयन से 20 वर्ष तक	50	50
2	सदैव	40	40
3	स्वामी के मृत्यु के पूर्व तक	10	10

सारणी क्र. 15 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 50 प्रति. लोग ऐसे हैं जिन्हे भारत में पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक के लिये होती हैं किन्तु 40 प्रति. लोगो का मानना है कि सदैव रहती है किन्तु 10 प्रति. लोगों का मानना है कि स्वामी के मृत्यु के पूर्व तक रहती है।

ग्राफ–15

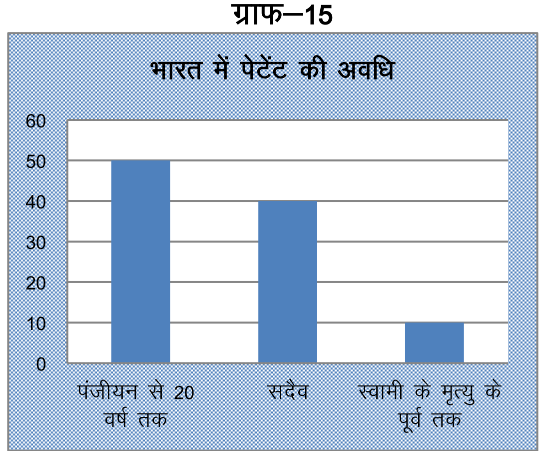

[14] यथोक्त

[15] यथोक्त

सारणी क्र.16[16]

भारत में पेटेंट के फायदे

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रति.
1	हाँ	80	80
2	नही	20	20

सारणी क्र. 16 का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि भारत में पेटेंट के फायदे के सम्बंध में 80 प्रति. व्यक्तियों ने पक्ष में मत दिये किन्तु 20 प्रति. लोगो ने विपक्ष में मत दिये।

ग्राफ–16

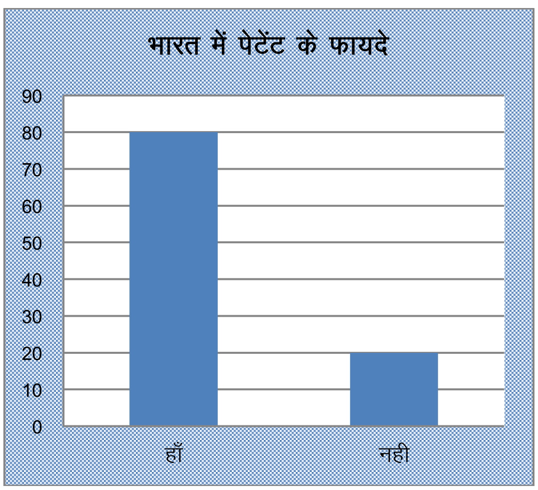

निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप में पेटेंट के के प्रवर्तन की चुनौतियों का समाधान कतिपय सुधारों द्वारा समस्याओं के समाधान पर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। चूंकि पेटेंट का सम्बंध समाज के एक छोटे वर्ग से सम्बंधित होता है, समाज का बड़ा वर्ग ऐसी चीजों का आनन्द लेने वाला होता है। अतः दस वस्तु के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है परन्तु उसके व्यावसायिक प्रयोग हेतु लोगों को सचेत करना आवश्यक है अतः लोगों को इसे प्रति जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे एकस्वधारी को पेटेंट की विधियों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। पेटेंट के पंजीयन की प्रक्रिया जटिल है इसे सरल बनाये जाने की आवश्यकता है। सरकार के अधीन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाये गये संस्थाओं को बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला, संगोष्ठियाँ, नुक्कड़–नाटक इत्यादि को आयोजित करते रहना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो।

संदर्भ :

1. आलोक कुमार मिश्रा
2. पुष्पेन्द्र कुमार भार्गव
3. अवंतिका तिवारी
4. खुसबू
5. सरला साहू
6- दैनिक समाचार प

[16] प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी के आधार